न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 33/2025/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 30.01.2025
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

हरलाल आत्मज धन्ना जाति बंजारा, निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी राज० जरिये मुख्तारआम मारूफ अहमद वल्द मकबूल अहमद जाति मुसलमान निवासी वार्ड संख्या–4, पोस्ट ऑफिस के पास, ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मोहम्मद अमजद वल्द मोहम्मद अशरफ जाति मुसलमान, निवासी 2–62–क, स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास, छावनी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. नायब तहसीलदार डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी राज०
4. उप पंजीयक डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दीः राज०

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री अनुराग गुप्ता, अभिभाषक – अपीलांट
श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक – रेस्पो0 क्र.1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 1–3

::निर्णय::

दिनांक 11.07.2025

अपीलार्थी ने जरिये मुख्तारआम मारूफ अहमद वल्द मकबूल अहमद जाति मुसलमान निवासी वार्ड संख्या–4, पोस्ट ऑफिस के पास, ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान के न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 19/अपील/2024 बउनवान मोहम्मद अमजद बनाम हरलाल वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2024 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र.1 मोहम्मद अमजद के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नायब तहसीलदार, डाबी द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 ग्राम डाबी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा रेस्पो0 क्र. 1 के द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 15.10.2024 से आंशिक रूप से स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 1564 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार तालेड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.12.2021 की पालना में नये सिरे से नियमानुसार पूर्ण तथ्यों की जांच कर राजस्व मण्डल के आदेश में लिखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः स्पीकिंग आदेश जारी करे।

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.10.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया गया कि हुक्म जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हुक्म जैर अपील में यह माना गया है कि रेस्पोडेन्ट क्रम–1 का विवादित भूमि पर कब्जा होना भी प्रमाणित नही है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह करार फरमाने में त्रुटि की है कि ''यदि उक्त विवादित आराजी के किसी हिस्से पर मोहम्मद अमजद रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का कब्जा पाया जाता है, तो वह बिना विधिक अधिकार के मात्र अतिक्रमी की हैसियत रखता है, ऐसे में अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार बेखदली की कार्यवाही की जावे।'' यहां यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जब उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट क्रम–1 का कब्जे होने के तथ्य को प्रमाणित नही माना है तो उसका उपरोक्त आराजीयात पर काबिज होने तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 उपरोक्त आराजीयात से बेदखल करने का प्रश्न महत्वहीन एवम निरर्थक है। नायब तहसीलदार डाबी द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2021 की पालना में तहसीलदार तालेडा द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश दिनांक 22.12.2021 के अनुसरण में तस्दीक किया गया। चूंकि उक्त वर्णित नामान्तरकरण उपरोक्त वर्णित आदेशो की पालना में तस्दीक किया गया है तथा उपरोक्त वर्णित राजस्व मण्डल अजमेर एवं तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित आदेश वर्तमान में भी प्रभावशील है तथा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किये गये है। ऐसी स्थिति में जब तक कि मूल आदेश निरस्त नही हो जाता तब तक कानूनन उसकी पालना में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की अपील पोषणीय नही होने से नामान्तरकरण जैरअपील निरस्त नही किया जा सकता था। इस तथ्य पर भी गौर किये बिना

अति. संभागीय आयुक्त कोटा

ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जैर अपील प्रदान फरमाने में गंभीर त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार डाबी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2021 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही की गयी थी, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.12.2021 को विधिसम्मत प्रतीत नही होने का करार फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही फरमाया कि वक्त आवंटन से अपीलाण्ट उपरोक्त भूमि पर बहैसियत गैरखातेदार वैधानिक रूप से काबिज काश्त चला आ रहा था तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त निर्बाध एवम वैधानिक रूप से बहैसियत खातेदार टीनेन्ट काबिज चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही फरमाया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 नामान्तकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 से व्यथित पक्षकार नही है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 पीडित पक्षकार नही है। इस कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को उक्त नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही था। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किए जाने का आदेश फरमाने में गंभीर त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट क्रम–1 को नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की शुरूआत से ही पूर्ण जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुने बिना ही धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपने अधिकारों से परे जाकर के पारित किया गया है, इस कारण से उक्त आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नही आने से निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि जब तक राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2021 तदुपरान्त तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2021 सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिये जाते हैं तब तक कानूनन नामान्तरकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 को खारिज नही किया जा सकता है। इस प्रकार इस तथ्य पर भी गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जैर अपील पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट क्रम–1 का अपील विषयक आराजीयात वाकै ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी की खसरा नम्बर 1525/616 रकबा 1.6187 हैक्टयर पर न तो कभी कब्जा रहा है, न ही रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का उपरोक्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार है। अपीलाण्ट उपरोक्त भूमि पर बहैसियत आवन्टी एवं खातेदार टीनेन्ट काबिज है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.10.2024 निरस्त फरमाया जावे तथा नामांतरकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 को पुनः बहाल फरमाने के आदेश प्रदान किया जावे।

अति. रा. आयुक्त
कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नायब तहसीलदार डाबी द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2021 की पालना में तहसीलदार तालेडा द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश दिनांक 22.12.2021 के अनुसरण में तस्दीक किया गया। चूंकि उक्त वर्णित नामान्तरकरण उपरोक्त वर्णित आदेशो की पालना में तस्दीक किया गया है तथा उपरोक्त वर्णित राजस्व मण्डल अजमेर एवं तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित आदेश वर्तमान में भी प्रभावशील है तथा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किये गये है। ऐसी स्थिति में जब तक कि मूल आदेश निरस्त नही हो जाता तब तक कानूनन उसकी पालना में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की अपील पोषणीय नही होने से नामान्तरकरण जैरअपील निरस्त नही किया जा सकता था। इस प्रकार आदेश दिनांक 22.12.2021 को कभी भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। राजस्व मण्डल के आदेश 03.12.2021 एवं तहसीलदार तालेड़ा के आदेश दिनांक 22.12.2021 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं होने से तदनुसार नामांतरकरण संबंधी आदेश अंतिम हो चुका हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हुक्म जैर अपील में यह माना गया है कि रेस्पोडेन्ट क्रम–1 का विवादित भूमि पर कब्जा होना भी प्रमाणित नही है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह करार फरमाने में त्रुटि की है कि "यदि उक्त विवादित आराजी के किसी हिस्से पर मोहम्मद अमजद रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का कब्जा पाया जाता है, तो वह बिना विधिक अधिकार के मात्र अतिक्रमी की हैसियत रखता है, ऐसे में अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार बेखदली की कार्यवाही की जावे"। अपीलार्थी को वर्ष 1975 में वादग्रस्त आराजी आवंटित की गई थी तथा उक्त आवंटन को आजदिनांक तक चैलेंज नहीं किया गया है। इस प्रकार मूल आदेश को चैलेंज किये बिना ही उसकी पालना में खोला गया नामांतरकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 को किसी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.10.2024 को निरस्त फरमाया जावे तथा नामांतरकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण RRD 1988 Page No. 628, RRT 2005 Page No. 772 पेश किये।

आसि. स. आयुक्त
कोटा

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 16.06.1976 को प्रश्नगत आराजी का आवंटन किया जाने के उपरांत उक्त आराजी गैर खातेदारी में दर्ज थी, लेकिन अपीलांट को उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। वादग्रस्त आराजी के संबधं में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा दिनांक 03.12.2021 को जो निर्णय पारित किया गया है, वह सशर्त पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा तहसीलदार को दिनांक 08.12.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम दिनांक 14.12.2021 को तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया जाकर पटवारी हल्का से रिपोर्ट चाही गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.12.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार मौके पर भूमि पड़ी होना बताया तथा मुताबिक ग्रामवासियान के मौके पर गैर खातेदार का कब्जा होना बताया गया है, उक्त रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उक्त भूमि खनन संभावित क्षेत्र हैं। ऐसी स्थिति में पटवारी के द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें खनन नहीं होना बताना गलत हैं। पटवारी रिपोर्ट में चार–पांच व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित होने से किसी का कब्जा प्रमाणित नहीं होता। इस प्रकार आदेश दिनांक 22.12.2021 में आवंटन शर्तों की पालना होने का गलत वर्णत किया गया हैं। प्रस्तुत गिरदावरियों में उक्त आराजी पड़त दर्शायी गयी है। संवत् 1952 से लेकर 1977 तक की खसरा गिरदावरी में भूमि को पड़त बताया गया है। अतः कब्जा होना प्रमाणित नहीं हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2024 में तहसीलदार, बून्दी द्वारा अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के तहत पूर्व प्रकरण सं0 66/मुत0/2007 में रिपोर्ट पटवारी हल्का डाबी दिनांक 24.02.2008 अनुसार मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने संबंधी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के साथ कार्यालय खनिज अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग खण्ड द्वितीय बून्दी के पत्र दिनांक 11.01.2011 पेश किया गया था, जिसके अनुसार खनन क्षेत्र में खातेदारी पर रोक लगायी हुयी है तथा संलग्न सूची में वादग्रस्त खसरा संख्या शामिल है। इस प्रकार बरड़ एवं खनन क्षेत्र में खातेदारी पर रोक है। राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 03.12.2021 सशर्त है, जो उचित है। किंतु तहसीलदार के द्वारा सशर्त निर्णय के विरूद्ध गलत आदेश पारित किये जाने से उक्त नामांतरकरण की अपील पेश की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.10.2024 में तहसीलदार, तालेड़ा के आदेश दिनांक 22.12.2021 को विधिसम्मत नहीं मानते हुए आक्षेपित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल आदेश दिनांक 22.12.2021 को भी निर्णित कर दिया गया हैं। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2018(2) Page No. 1026, 2017(1) DNJ Page No. 145 पेश किये।

अति. सं./आयुक्त
कोटा

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रार्थना–पत्र/एलआर/3190 /2021/बून्दी हरलाल बनाम सरकार वगैराह में दिनांक 03.12.2021 को निर्णय किया जाकर तहसीलदार, तालेड़ा को निर्देशित किया गया कि "यदि विवादित भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश पारित नहीं हुआ हो एवं वर्तमान में आवंटन आदेश अपास्त नहीं हुआ हो तथा मौके पर आवंटी का कब्जाकाश्त हो। इसके अतिरिक्त विवादित आराजी के क्रम में प्रार्थी के विरूद्ध 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही संस्थित नहीं की गई हो। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1976 में प्रार्थी को आवंटित की गयी विवादित आराजी खसरा सं0 616 रकबा 10 बीघा वर्तमान खसरा सं0 1525/616 रकबा 10 बीघा भूमि को प्रार्थी की खातेदारी में नियमानुसार दर्ज किये जाने की कार्यवाही संपादित की जावे।"

माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 03.12.2021 के क्रम में अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 08.12.2021 को प्रार्थना–पत्र तहसीलदार, तालेड़ा के समक्ष पेश किये जाने पर दिनांक 14.12.2021 से पटवारी हल्का से रिकोर्ड एवं मौकानुसार कब्जा काश्त की रिपोर्ट पेश करने तथा भूमि पर आवंटी/गैर खातेदार का कब्जा नहीं होने का आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जा रही हो तो नियमानुसार आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन खारिज हेतु प्रस्ताव तैयार कर मय आईएलआर जांच के प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, तालेड़ा के द्वारा निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् रिकोर्ड एवं मौका पर्चा दिनांक 16.12.2021 अनुसार तहसीलदार तालेड़ा के द्वारा आदेश दिनांक 22.12.2021 से नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने हेतु नामांतरकरण दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिये गये। उक्त आदेश के क्रम में नामांतरकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 तस्दीक किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के समक्ष रेस्पो0 क्र.1 मोहम्मद अमजद के द्वारा उक्त तस्दीक नामांतरकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 ग्राम डाबी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश की गई। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 15.10.2024 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामांतरकरण

...1.2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

संख्या 1564 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार तालेड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.12.2021 की पालना में नये सिरे से नियमानुसार पूर्ण तथ्यों की जांच कर राजस्व मण्डल के आदेश में लिखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः स्पीकिंग आदेश जारी करे।

8. अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में तर्क रहा है कि नायब तहसीलदार डाबी द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2021 की पालना में तहसीलदार तालेडा द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश दिनांक 22.12.2021 के अनुसरण में तस्दीक किया गया। जब तक कि मूल आदेश निरस्त नही हो जाता तब तक कानूनन उसकी पालना में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की अपील पोषणीय नही होने से नामान्तरकरण जैरअपील निरस्त नही किया जा सकता था। उपरोक्त नामान्तरकरण राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 03.12.2021 एवं तहसीलदार तालेड़ा के आदेश दिनांक 22.12.2021 की पालना में तस्दीक किया गया है, जो वर्तमान में भी प्रभावशील है तथा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किये गये है। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है कि अपीलांट को दिनांक 16.06.1976 को प्रश्नगत आराजी का आवंटन किया जाने के उपरांत उक्त आराजी गैर खातेदारी में दर्ज थी, लेकिन अपीलांट का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। वादग्रस्त आराजी के संबधं में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा दिनांक 03.12.2021 को जो निर्णय पारित किया गया है, वह सशर्त पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा तहसीलदार तालेड़ा के समक्ष दिनांक 08.12.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 14.12.2021 से पटवारी हल्का से रिपोर्ट चाही गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.12.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार मौके पर भूमि पड़ी होना बताया तथा मुताबिक ग्रामवासियान के मौके पर गैर खातेदार का कब्जा होना बताया गया है, उक्त रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उक्त भूमि खनन संभावित क्षेत्र हैं। ऐसी स्थिति में पटवारी के द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें खनन नहीं होना बताना गलत हैं। पटवारी रिपोर्ट में चार–पांच व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित होने से किसी का कब्जा प्रमाणित नहीं होता। इस प्रकार आदेश दिनांक 22.12.2021 में आवंटन शर्तों की पालना होने का गलत वर्णत किया गया हैं। प्रस्तुत गिरदावरियों में उक्त आराजी पड़त दर्शायी गयी है। संवत् 1952 से लेकर 1977 तक की खसरा गिरदावरी में भूमि को पड़त बताया गया है, जिसके अनुसार कब्जा होना प्रमाणित नहीं हैं।

अति. सं. आयुक्त
कोटा

9. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि तहसीलदार तालेड़ा के द्वारा दिनांक 22.12.2021 को खातेदारी संबंधी आदेश पारित किया गया। जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 तस्दीक किया गया है। इस सबंध में हम अपीलांट के इस तर्क से सहमत हैं कि उक्त नामांतरकरण का आधार तहसीलदार तालेड़ा का आदेश दिनांक 22.12.2021 है तथा जब तक यह आदेश अस्तित्व में है तब तक विवादित नामांतरकरण संख्या 1564 को खारिज करना त्रुटिपूर्ण हैं। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्वरण RRT 2018(2) Page No. 1026, 2017(1) DNJ Page No. 145 प्रकरण में चस्पा होते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में उक्त आदेश दिनांक 22.12.2021 को विधिसम्मत नहीं माना गया है, किंतु निर्णय में अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1564 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 03.12.2021 की पालना में पुनः स्पीकिंग आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार तालेड़ा को प्रतिप्रेषित किया गया। इस प्रकार तहसीलदार, तालेड़ा के आदेश दिनांक 22.12.2021 के अस्तित्व में होते हुए तहसीलदार तालेड़ा को पुनः स्पीकिंग आदेश पारित करने हेतु आदेश पारित करना त्रुटिपूर्ण होना प्रकट होता है। **अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.10.2024 निरस्त किया जाता है।**

10. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.10.2024 एवं तहसीलदार, तालेड़ा की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि पटवारी हल्का के दिनांक 16. 12.2021 के मौका पर्चा द्वारा मात्र ग्रामवासियान की जानकारी के आधार पर विवादित आराजी पर गैर खातेदार/आवंटी का कब्जा होना जाहिर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.10.2024 अनुसार खसरा गिरदावरियों में उक्त भूमि पड़त होना जाहिर होता है। उक्त साक्ष्यों में प्रथम दृष्टया गैर खातेदार हरलाल बंजारा का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय का विवेचन सही होना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में विवेचित तथ्य "पटवारी हल्का डाबी दिनांक 24.02. 2022 की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 616 सम्पूर्ण रकबा 43.08 बीघा में वर्तमान मे पत्थरों का कचरा व मलबे के छोटे ढेर पड़े हुये हैं। मौके पर आवंटी हरला बंजारा का कहीं पर भी कब्जा काश्त नहीं है, न हीं नक्शे में तरमीम हो रखी है, रिकोर्ड में दर्ज नहीं होने से माइनिंग लीज का उक्त खसरा नम्बर के हिस्से में चिन्हित किया जाना संभव नहीं है तथा आवंटी का कहीं पर भी कब्जा काश्त नहीं होने से गैर खातेदार हरला का हिस्सा चिन्हित किया जाना भी संभव

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

नहीं है। उक्त खसरा सं0 616 के सम्पूर्ण रकबे में कहीं पर भी कब्जा काश्त नहीं हो रही है, न हीं काफी समय से काश्त होने के कोई निशानात हैं। इस प्रकार तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रस्तुत उक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि आवंटी द्वारा वर्ष 2007 से पूर्व से ही आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है।'' इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अपीलांट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा हैं।

11. प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का डाबी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 16.12.2021 के अनुसार मात्र छः ग्रामवासियान (जिसमें अपीलांट एवं उसका भाई भी सम्मिलित हैं) की जानकारी के आधार पर वर्णित किया गया है कि ''मौके पर उपस्थित ग्रामवासियान से कब्जा बाबत् जानकारी की गई। जिन्होनें मौके पर गैर खातेदार का कब्जा होना बताया गया है वर्तमान में भूमि मौके पर खाली पड़ी है''। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन करने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के निर्णय के विवेचनानुसार अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होना प्रकट होता है। **ऐसी स्थिति में तहसीलदार तालेड़ा को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत खातेदारी निरस्त कराने हेतु रेफरेंस प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है तथा रेफरेंस के निर्णय तक जमाबंदी में वाद बाहुल्यता से बचने हेतु भूमि के विवादित होने एवं रहन बेचान पर रोक होने, किसी प्रकार से अंतरण नहीं करने का नोट अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं।**

::: क्रियात्मक आदेश :::

अतः उक्तानुसार प्रस्तुत अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 19/अपील/2024 बउनवान मोहम्मद अमजद बनाम हरलाल वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार तालेड़ा को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत खातेदारी निरस्त कराने हेतु रेफरेंस प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है तथा रेफरेंस के निर्णय तक जमाबंदी में वाद बाहुल्यता से बचने हेतु भूमि के विवादित होने एवं रहन बेचान पर रोक होने, किसी प्रकार से अंतरण नहीं करने का नोट अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं।

12. निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

11/7/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा
अति. आयुक्त
कोटा